

- 00 प्रतिबंध सुक्त में प्रयोग धातु/काक में अपन किया जायेगा। उपरोक्त में जोरिखन धातु/काक में सुक्त में सम्बन्ध में जयान-समाप्ति पर साफल प्राप्त किया किसे जाने कसे सम्बन्धीय प्रकृतो प्राप्त करें अनुमान प्रकृतो किसे प्राप्त जायसक होगा। नीस विहितन लीखो प्राप्त यदि धतु धातु-अनु सुक्त नीस का पूर्वाधारन किसे जल है, तो फीस को नवीनान धतु धातु होगी।
- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितीको प्राप्त रूप समितीको संस्थाको को सम्बन्ध किसे जलानु निनिचनावली-2020 की संली का अनुशासन कलना होगी।
- ✓ संस्था में अनुशासन प्रवेश परीक्षा परिषद प्राप्त प्राविधिक प्रकृतो को ही प्रवेश किना जायगा। सीटी को किना धतु का ही स्थिति में जयान प्रवेश साफल को निरीक्षणनुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निमित्त सासन्वादेश की अनुशासन विवेकानु रूप सम्बन्धीय सुक्त प्राप्त कलना होगी।
- ✓ संस्था को एम्माई0वी0(0000/0000000000 से जायगी सन ही अनुशासन प्राप्त किना जलानु कलनायक जल।
- ✓ संस्था जलानु प्रवेश साफल प्राप्त कलाने गये यदि/विनाश/अविनिचन/सासन्वादेश/निर्देशों सुक्त विहितन प्राविधिक शिक्षा सम्बन्ध संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद 2020 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद प्रकृतो प्राप्त कलाने भवे किसे विनिचनको जयानो निदेशों का साफल कलने के सिधे साध होगी।
- ✓ विनिचन ही नवीनी पाठ्यक्रम की संस्था यदि प्रकृतो सुक्त विनिचन में अनुशासन कलने कलने में कलना कलने है तो इस संस्था में सम्बन्ध उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विहितन रूप में किसे ही कलनीको ही सिधे संस्था कलने उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, अनुशासन प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा विवेकानु रूप प्राविधिक शिक्षा विनिचन उत्तरदायित्व साफल की कोई धातु धातु किसे जलानु है तथा धातु धातु के संस्था में ही जायसक प्राप्त प्रकृतो प्रसार की प्रतिभुति उत्तरदायित्व किसे किसे जलानु है तो सम्बन्ध प्रविष्टिी संस्थित संस्था को कलनी होगी।
- ✓ विनिचन ही नवीनी पाठ्यक्रम संस्थानित कलने कलनी संस्थाको को अनुशासन प्रवेश परीक्षा परीक्षा प्रवेश परीक्षा परीक्षा प्राप्त प्रकृतो जलानु धातु प्रकृतो जलानु के सिधे कलनीय प्रवेश परीक्षा ही नवीनीयित्व प्राप्त होने के पूर्व विनिचनको ही अनुशासन कलने कर परिषद जायसक जलानु कलनायक कलनायक कलनायक कलनायक कलनी प्रवेश की (कलनिचनिक के सासन्वादेश में कलनायक कलनायक उत्तर पर सीधे प्रवेश) अनुशासन नवीनान की कार्यवाही।
- ✓ उत्तरदायित्व सासन्वादेश प्राप्त प्रवेश ही सुक्त नवीनान जायसक विनिचन का अनुशासन कलनायक कलनायक कलनायक।
- ✓ संस्था को जयाने संस्थागत पर संस्था की साफल सुक्तानु जैसे संस्था की विनिचनिक सुक्तानु सासन्वादेश, सासन्वादेश, जायसक प्राप्त किना जलाने कलनायक सुक्त, जायसक सुक्त जायसक का विवरण सम्बन्ध कलनायक होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-विवेकानु ही अनुशासन जायसक कलनायक कलनायक कलनायक के जलानु विनिचन कलनायक के सासन्वादेश जायसक कलनायक सुक्तानु कलनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो कि संस्था में प्राविधिक/संस्थानित पाठ्यक्रम को कलाने जलानु ही विनिचन कलनीको ही सासन्वादेश कलनी गये प्राविधिक, भूमि-कलनायक, कलनीय, कलनायक कलनायक का यदि संस्था प्राप्त किसे जलानु कलनायक को सासन्वादेश में प्रवेश किना जायगा है और परिषद को कलनी जायसक कलनी है कि संस्था उत्तरदायित्व का प्रवेश किसे जलानु कलनी के सिधे कलनी है तो कलनायक संस्था की सम्बन्धीय सासन्वादेश किसे जलानु ही अनुशासन की कार्यवाही।
- ✓ सम्बन्धीय शर्तों का अनुशासन न किसे जलाने कलनायक कलनी का उत्तरदायित्व किना जायसक की किसे जलानु किसे जलानु अनुशासनकलनायक कार्यवाही की कार्यवाही।

(सुक्त जायसक सासन्वादेश)
सासन्वादेश

सुक्तानु- प्राविधिक/परिषद सम्बन्धीय/2020/ 1972-3141

सुक्त दिनीक 14-09-2020

प्रतिनिधि- जायसक/निदेशक, एम्माई0वी0(0000) सासन्वादेश और सासन्वादेश एम्माई0वी0(0000) रेवन, सासन्वादेश।

(सुक्त जायसक सासन्वादेश)
सासन्वादेश

कार्यलय,

प्रतिष्ठान, प्राविधिक शिक्षा परिषद-

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या: प्राविण/परिषद/सम्बद्धता/2021/0537

संक्रमांक: दिनांक: 09/08/2021

प्रकार: (कार्यालय मार्ग)

प्रतिष्ठान भारतीय (कॉलेज) शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (कार्यालय) कार्यालय और दिल्ली, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु दिल्ली में राष्ट्रीय स्तरीय स्नातकीय शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्राप्त किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के सम्बद्धता/सम्बद्धता विभाग प्रदान किए जाने हेतु दिल्ली (18/08/2021) को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण से संपन्नित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम, प्रवेश समस्त दृष्टि से उचित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विवेक से विवेक से अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सरकार द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता एवं उसमें उचित प्रवेश समस्त हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3376 M.C.S. COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, JHANSI.			
क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आइ०सी०टी०आई० पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश समस्त	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश समस्त
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आइ०सी०टी०आई०पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवर्गी-1992, सेमेस्टर विनियमवर्गी-2016 तथा अन्य विहित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹ 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कॉलेजी पाठ्यक्रम हेतु ₹ 40000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कॉलेजी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹ 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक वर्ष/वर्षों में प्रदान किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त उपरोक्त शर्तों से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले आदेशों/पत्रों का पालन किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त उपरोक्त शर्तों से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले आदेशों/पत्रों का पालन किया जायेगा। कौशल निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो प्रवेश की अधिकतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता) विनियमवर्गी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित करने की ही प्रवेश दिया जायेगा। शीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आइ०सी०टी०आई०पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनावे गये विधि/विधियों/अधिनियमों/आदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनावे गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ दिल्ली में इन कॉलेजी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि भी सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा विभाग/उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बाध दायर किया जाता है तथा दायर बाध के संबंध में भी न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की संपत्ति संबंधी आदेश निर्गत किये जाते हैं तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ दिल्ली में इन कॉलेजी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत सर्वोच्चतम आदेशों/विधियों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक वृद्धि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्रदान किये जाने वाले शुल्क, छात्रवृत्ति शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध बनाने के साथ-साथ टीकने के सम्बन्ध में सम्पूर्ण आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कानी होगी।
- ✓ संस्था का सुनिश्चित हो जाये कि संस्था में पर्याप्त/संघनित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि भवन, कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य वास्तविक के संवाहक में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था कुनरीस का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साम-सम्पदा १०७७३०१०१०१०१०/१०१०१०१०१०/१०१०१०१०१० परिषद के मतानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता घटी का अनुपालन न किये जाने अथवा घटी का उपलक्षण किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

(सुनील कुमार शोमकर)

अधिव

पृ० सं०- पाठिकापरिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

पतिविति:-

पाठिकापरिषद/M.C.S. COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNO REVAN, JHANSI.



(सुनील कुमार शोमकर)

अधिव

कार्यालय,

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राविष/परिषद संशोध/सम्बद्धता/2022/10770

लखनऊ दिनांक: 15/12/2022

कार्यालय शपथ:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालय काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 10/10/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दी पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं की सम्बद्धता पर तत्समय पी०सी०आई० द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता के अनुसार प्रेषित कर दिया गया था।

पी०सी०आई० के पत्र संदर्भ संख्या 14-443/2022-PCI Approval Process 2022-2023/14705-09 दिनांक 03 नवंबर 2022 में दिए गए निर्देशों क्रम में प्रकृत संस्थानों से पूर्व में इंगित कमियों के निराकरण का क्विरण एस०आई०एफ० पर अपलोड करते हुए निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र दाखिल करने के दिए गए निर्देशों के अनुपालन में इन अंगिकारों के साथ-साथ शपथ पत्र लेकर बहाल की गई प्रवेश क्षमता की सम्बद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि भविष्य में संस्था के निरीक्षण के समय एस०आई०एफ० का सत्यापन करना होगा।

संस्था का कोड एवं नाम : 3376-M.C.S. COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY


क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु प्रदत्त संशोधित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एस०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150 00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थानों का एस०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिये संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद

के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराता होगा अर्थात् उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिम रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के औचक स्वतंत्र निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।


(एफ०आर० खान)

सचिव

15/12/2022

पृ०सं०- प्राविप/परिषद संसो० सम्बद्धता/2022/10771-11058

प्रतिवेदि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, M.C.S. COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY


(एफ०आर० खान)

सचिव